राजस्व निगरानी प्रकरण क्र. :   / 2012–12   110

रा.रा. श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र. इन्होंके समक्ष

R-2937-PBR/12

1– आशीष पिता मणीलालजी जैन,

2– मणीलाल पिता केशरीमल

दोनों निवासी – तिलकमार्ग, गली नंबर 1,

देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.) —— प्रार्थीगण (प्रत्यर्थीगण)

विरूद्ध

भीमशंकर पिता चम्पालालजी गारी,

निवासी – ग्राम जलौदियापार, तहसील

देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.) —— प्रतिप्रार्थी (अपीलार्थी)

राजस्व निगरानी प्रार्थनापत्र धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से सविचन निवेदन है कि –

यह कि, रा.रा. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.) इन्होंके द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 28 / 2011–12 में दिनांक 24.07.2012 को पारित आदेश जिस अनुसार प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रत्यवर्तित किया गया। उस पारित विवादित आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण यह निरागनी प्रार्थनापत्र निम्नलिखित आधारों पर न्यायार्थ प्रस्तुत करता है –

निगरानी के आधार (Grounds)

1– यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित [illegible] विवादित आदेश नितांत अवैध एवं अधिकार शून्य होने से [illegible]

[illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2937-पीबीआर/2012 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	12/03/19